बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

विज्ञप्ति संख्या– 951 /2025

गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के अधीन सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 के आलोक में ईख प्रसार पदाधिकारी के रिक्त पदों के विरूद्ध सेवानिवृत्त प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी का संविदा आधारित नियोजन की सूचना।

गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के योजनाओं को किसानों तक पहुँचाने के लिए ईख प्रसार पदाधिकारी के रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त प्रखंड कृषि पदाधिकारी को संविदा के आधार पर नियोजित किया जाना आवश्यक है। अतएव ऐसे योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है जिन्हें विभाग एवं किसानों के संबंध में समुचित जानकारी हो एवं क्षेत्रीय कार्य करने के लिए इच्छुक हो तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ्य हो।

अतएव गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के अधीन सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक 10.07.2015 के आलोक में ईख प्रसार पदाधिकारी के कुल रिक्त 87 (सत्तासी) पदों पर सेवानिवृत्त प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी को संविदा के आधार पर नियोजन हेतु इच्छुक व्यक्ति के लिए विभागीय पोर्टल ccs.bihar.gov.in पर दिनांक–15.07.2025 से 21.07.2025 के अपराह्न 05:00 बजे तक विहित प्रपत्र में (अनुलग्नक सहित) आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों की कोटिवार विवरणी निम्नवत् है :–

क्र०	पदनाम	कोटिवार रिक्तियाँ		महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण के अनुमान्य पद	अहर्त्ता	मसिक मानदेय
1	2	3		4	5	6
1	ईख प्रसार पदाधिकारी	अनारक्षित	34	12	कृषि विभाग से सेवानिवृत्त (Retired) प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी	सेवानिवृत्त (Retired) प्रखंड कृषि पदाधिकारी को मानदेय के रूप में उनका अंतिम प्राप्त वेतन में से पेंशन की राशि घटाकर शेष राशि देय होगा।
2		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	9	03		
3		अनुसूचित जाति	14	5		
4		अनुसूचित जनजाति	01	0		
5		अत्यंत पिछड़ा वर्ग	16	6		
6		पिछड़ा वर्ग	10	04		
7		पिछड़े वर्गों की महिला	03	–		
		कुल योग :–	**87**	**30**		

नोट :–

i. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी के अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होने की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–2622 दिनांक–26.02.2019 के आलोक में अनारक्षित वर्ग की श्रेणी के अभ्यर्थी पर विचार किया जायेगा।

ii. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 के आलोक में दृष्टि बाधित दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों को 01 पद, मूक बधिर दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों को 01 पद, चलन दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों को 01 पद एवं मनोविकार दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों को 00 पद अर्थात कुल 03 (तीन) पद दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 के आलोक में दिव्यांगता से ग्रस्त उम्मीदवारों को क्षैतिज आरक्षण के तहत् देय होगा।

iii. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–2526 दिनांक–18.02.2016 के आलोक में स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी को क्षैतिज आरक्षण के तहत् 02 (दो) पद देय होगा।

2. उपरोक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु जिन अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक–21.07.2025 के अपराह्न 05:00 बजे से पूर्व आवेदन समर्पित किया जयेगा, उन सभी अभ्यर्थियों का दिनांक–24.07.2025 के पूर्वाह्न 10:00 बजे उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में वांछित कागजातों का सत्यापन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य होगा। जिन अभ्यर्थियों को नियोजन हेतु सूचीबद्ध किया जायेगा, उन अभ्यर्थियों को दिनांक–27.07.2025 के पूर्वाह्न 11:00 बजे से सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के कार्यालय कक्ष में साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार के उपरांत चयनित सूची के आधार पर सुयोग्य कर्मियों को नियोजित किया जायेगा।

शर्तें :–

1. गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के अधीन सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 के आलोक में ईख प्रसार पदाधिकारी के कुल–87 (सत्तासी) नियमित रिक्त पदों के विरूद्ध प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी के पद को संविदा आधारित नियोजन किया जा रहा है। ईख प्रसार पदाधिकारी की नियमित नियुक्ति होते ही इनकी संविदा नियोजन स्वतः समाप्त हो जायेगी।
2. संविदा के आधार पर नियोजन प्रथमतः 02 (दो) वर्ष अथवा 65 (पैंसठ) वर्ष की आयु पूरी होने (दोनों में जो पहले हो) तक के लिए किया जायेगा। संतोषप्रद सेवा की स्थिति में अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक के लिए एक–एक वर्ष की सेवा अवधि का विस्तार किया जा सकता है। विशेष परिस्थिति में 67 वर्ष तक सेवा अवधि बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।
3. आरक्षण कोटि के विरूद्ध आवेदन करने वाले को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. सेवानिवृत्त और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा।
6. वैसे अभ्यर्थी जिनपर कोई निगरानी का मामला/विभागीय कार्यवाही/गंभीर आरोप विचाराधीन/दण्ड अधिरोपित हो/आपराधिक मामला दर्ज हो, की सेवाएँ नहीं ली जाएँगी

अतएव संविदा पर नियोजन के लिए आवेदन समर्पित करते समय उक्त आशय का शपथ–पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

7. पी०पी०ओ० की प्रति संलग्न करनी होगी। यदि पी०पी०ओ० उपलब्ध नहीं हो तो प्रशासी विभाग द्वारा निर्गत पेंशन/उपादान संबंधी स्वीकृत्यादेश की प्रति अभ्यर्थी संलग्न कर सकते हैं।
8. विज्ञापन एवं शर्त्तों से संबंधित किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। साथ ही नियोजन की प्रक्रिया को किसी भी समय बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है।
9. विस्तृत जानकारी एवं आवेदन करने हेतु विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाइट **www.state.bihar.gov.in/sugarcane**के**Notice Board** पर उपलब्ध है।

11/07/2021

सरकार के उप सचिव,
गन्ना उद्योग विभाग।